कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 419/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.11.2026

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

☐ ***थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा 323 किलोग्राम अवैध पटाखों के भण्डारण के मामले में वांछित मुख्य अभियुक्त हिरासत में लिया गया।***

☐ ***पूर्व में आवासीय मकान से 14 बोरियों में बरामद किए गए थे 323 किलोग्राम अवैध पटाखे, छापेमारी के दौरान मौके से फरार हो गया था अभियुक्त।***

घटना एवं पुलिस कार्रवाई का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक शशिचन्द्र चौधरी के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 381/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त गुलाब गुप्ता को दिनांक 04.11.2026 को समय 17:20 बजे हिरासत में लेकर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

दिनांक 29.10.2026 को उ0नि0 प्रदीप बाजपेयी मय पुलिस टीम द्वारा कस्बा मुबारकपुर के ग्राम पुरारानी स्थित एक आवासीय मकान में छापेमारी की गई थी। मकान में किराये पर रह रहे अभियुक्त गुलाब गुप्ता द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस/अनुमति के अवैध पटाखों का भण्डारण कर बिक्री की जा रही थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। मौके से विभिन्न प्रकार के पटाखों से भरी कुल 14 बोरियां, जिनका कुल वजन लगभग 323 किलोग्राम था, बरामद की गई थीं। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000/- रूपये है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 381/2026 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का नाम व पता- गुलाब गुप्ता पुत्र स्व0 कन्हैयालाल गुप्ता निवासी पुरारानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़। उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

पूर्व में बरामद विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे, कुल 14 बोरियां, वजन लगभग 323 किलोग्राम। अनुमानित कीमत लगभग 50,000/- रूपये

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 381/2026 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक शशिचन्द्र चौधरी, उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर मय थाना मुबारकपुर पुलिस टीम।

अग्रिम विधिक कार्यवाही-

प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। विवेचना के दौरान अवैध पटाखों की आपूर्ति के स्रोतों एवं इस कारोबार में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में जानकारी संकलित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

☐ ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक श्री ईश्वर लाल गुर्जर द्वारा थाना निजामाबाद पर आगामी त्योहार एवं मेले के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।***

☐ ***डीजे संचालन में निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने, सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखने एवं मूर्ति विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील।***

☐ ***ध्वनि प्रदूषण एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी।***

आज दिनांक 05.11.2026 को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में* आगामी त्योहार एवं मेले को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत सहायक पुलिस अधीक्षक श्री ईश्वर लाल गुर्जर द्वारा थाना निजामाबाद पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कस्बा एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पीस कमेटी के सदस्यों तथा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी सदस्यों से संवाद स्थापित कर निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए—

1. ***डीजे संचालन एवं ध्वनि सीमा के संबंध में-*** त्योहार एवं मेले के दौरान डीजे निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप ही बजाए जाएं। डीजे की आवाज अत्यधिक तेज न रखी जाए तथा अधिक ऊंचाई वाले डीजे सेटअप न लगाए जाएं। ध्वनि प्रदूषण एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित ध्वनि सीमा निम्नवत है—
 - **आवासीय क्षेत्र: दिन में 55 डेसीबल तथा रात्रि में 45 डेसीबल।**
 - **व्यावसायिक क्षेत्र: दिन में 65 डेसीबल तथा रात्रि में 55 डेसीबल।**
 - **औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 डेसीबल तथा रात्रि में 70 डेसीबल।**
 - **शांति क्षेत्र (अस्पताल, स्कूल एवं न्यायालय के 100 मीटर के दायरे में): दिन में 50 डेसीबल तथा रात्रि में 40 डेसीबल।**
2. ***सीसीटीवी कैमरों के संबंध में-*** दुकानों एवं निजी प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित कर ली जाए तथा कैमरों को सड़क एवं गलियों की तरफ इस प्रकार लगाया जाए, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र की निगरानी हो सके।
3. ***मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन स्थलों के संबंध में-*** मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन स्थलों पर साफ-सफाई के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
4. ***पटाखों के प्रयोग के संबंध में-*** पटाखों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरती जाए तथा सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन किया जाए।
5. ***आपसी सौहार्द एवं शांति व्यवस्था के संबंध में-*** सभी लोग आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखें। किसी भी पुराने विवाद को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

अंत में सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों एवं क्षेत्रवासियों को आगामी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए त्योहारों को आपसी प्रेम, सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई।

यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़।

☐ ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में यातायात माह नवम्बर-2026 के अंतर्गत डी.ए.वी. पीजी कॉलेज, रैदोपुर में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक।***

☐ ***हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा एवं नशे की हालत में वाहन न चलाने के प्रति दी गई जानकारी।***

☐ ***छात्र-छात्राओं एवं कॉलेज स्टाफ को यातायात नियमों के पालन की दिलाई गई शपथ, पंपलेट वितरित कर किया गया जागरूक।***

आज दिनांक 05.11.2026 को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में* यातायात माह नवम्बर-2026 के अंतर्गत यातायात पुलिस टीम द्वारा डी.ए.वी. पीजी कॉलेज, रैदोपुर, आजमगढ़ में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के पालन एवं सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के प्रति जागरूक किया गया—

1. ***हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग-*** दोपहिया वाहन चलाते समय आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का प्रयोग तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
2. ***निर्धारित गति सीमा का पालन-*** वाहन निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं तथा सड़क पर किसी भी प्रकार का स्टंट न करें।
3. ***वैध ड्राइविंग लाइसेंस-*** बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएं तथा कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
4. ***नशे में वाहन न चलाएं-*** शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाएं।
5. ***वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें-*** वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने अथवा सोशल मीडिया का प्रयोग करने से बचें, जिससे एकाग्रता बनी रहे और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।

कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कॉलेज स्टाफ को यातायात नियमों का सदैव पालन करने की शपथ दिलाई गई तथा यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट एवं जागरूकता सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन के पदाधिकारी, यातायात पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

यातायात पुलिस आजमगढ़ की अपील— यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं थाना एएचटी, जनपद आजमगढ़।

☐ ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं थाना एएचटी की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी तथा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।***

☐ ***बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों को विवेचना संबंधी समस्याओं, किशोर न्याय अधिनियम-2015 एवं बाल अधिकारों के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।***

☐ ***विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों ने प्रतिभाग कर आपसी समन्वय एवं प्रभावी कार्यवाही पर किया विचार-विमर्श।***

आज दिनांक 05.11.2026 को समय 13:00 बजे पुलिस लाइन्स, आजमगढ़ स्थित सभागार में *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी आंकिक की अध्यक्षता में* विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं थाना एएचटी की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी तथा एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त गोष्ठी में चिकित्सा विभाग, अभियोजन शाखा, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, जीआरपी, आरपीएफ सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, थाना एएचटी/SJPU के प्रभारी एवं कर्मचारीगण तथा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला के दौरान बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों द्वारा विवेचना के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा उनके प्रभावी निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके साथ ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई—

1. बाल अधिकारों एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान।
2. अभियुक्त एवं पीड़ित के आयु निर्धारण की प्रक्रिया।
3. महिला सुरक्षा एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधान।
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के प्रावधान एवं प्रभावी क्रियान्वयन।
5. बालकों से संबंधित प्रकरणों में विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके निराकरण के उपाय।

बैठक के अंत में क्षेत्राधिकारी आंकिक द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बालकों एवं महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशीलता, तत्परता एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

☐ ***थाना कन्धरापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी पर गोकशी में प्रयुक्त ट्रक एवं डस्टर कार को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जब्त।***

☐ ***दिनांक 30.11.2025 को 18 गोवंशीय पशुओं के साथ ट्रक बरामदगी के मामले में की गई कार्यवाही।***

☐ ***गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2026 को पारित किया गया जब्तीकरण का आदेश।***

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.11.2025 को एसओजी प्रभारी श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह एवं थाना कन्धरापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक संख्या UP62T5312 में परिवहन किए जा रहे 18 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया था। उक्त ट्रक के आगे-आगे डस्टर कार संख्या UP16AN3096 द्वारा रेकी की जा रही थी। इस संबंध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत 08 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर द्वारा की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर नामजद एवं प्रकाश में आए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 28.06.2026 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जब्तीकरण की कार्यवाही-

उक्त अभियोग में बरामद ट्रक संख्या UP62T5312 एवं डस्टर कार संख्या UP16AN3096 के वाहन स्वामी भी अभियोग में नामजद अभियुक्त हैं। दोनों वाहनों का प्रयोग गोवंशीय पशुओं की तस्करी एवं परिवहन जैसे जघन्य अपराध में किया गया था। थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा उक्त दोनों वाहनों को गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5(क) की उपधारा (7) के अंतर्गत जब्त किए जाने हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट एवं संबंधित पत्रावली प्रेषित की गई थी।

थाना कन्धरापुर से प्रेषित रिपोर्ट एवं संलग्न अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2026 को ट्रक संख्या UP62T5312 एवं डस्टर कार संख्या UP16AN3096 को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरण/जब्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।